



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, सोमवार, 21 सितम्बर, 2020

भाद्रपद 30, 1942 शक सम्बत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या 708/वि०स०/संसदीय/65(सं)-2020

लखनऊ, 22 अगस्त, 2020

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2020 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 22 अगस्त, 2020 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2020

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा संक्षिप्त नाम और जायेगा। प्रारम्भ

(2) यह दिनांक 11 अप्रैल, 2020 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 1950 की धारा 4 का संशोधन	2-उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 की धारा 4, में उपधारा (13) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :- “(14) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार, राज्य की संचित निधि से छः सौ करोड़ रुपये की और धनराशि निकालेगी और उसे उक्त निधि में जमा कर देगी।”	
निरसन और व्यावृत्ति	3-(1) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2020 एतद्वारा निरसित किया जाता है।  (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गई समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध, सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।	उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 2020

### उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य में और तदन्तिमत्त उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 द्वारा “उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि” स्थापित की गयी है और समग्र आकस्मिकता निधि की सीमा उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1990 द्वारा बढ़ाकर 600 करोड़ रुपये कर दी गयी है। विगत वर्षों में राज्य के बजट के आकार में वृद्धि करने तथा कोविड-19 महामारी से लड़ने हेतु अतिरिक्त निधियों की व्यवस्था करने पर विचार करते हुये समग्र उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि को 600 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,200 करोड़ रुपये करने का विनिश्चय किया गया था। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही करनी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 11 अप्रैल, 2020 को उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 2020) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

सुरेश कुमार खन्ना,  
मंत्री,  
वित्त।

### उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2020 के संबंध में वित्तीय ज्ञापन-पत्र।

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2020 के खण्ड 2 द्वारा आकस्मिकता निधि की वर्तमान सीमा में छः सौ करोड़ रुपये की वृद्धि किये जाने की व्यवस्था की जा रही है। इस व्यवस्था के प्रवर्तन में आने पर राज्य की संचित निधि से छः सौ करोड़ रुपये का व्यय अन्तर्ग्रस्त है।

सुरेश कुमार खन्ना,  
मंत्री,  
वित्त।

आज्ञा से,  
प्रदीप कुमार दुबे,  
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR  
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 511/XC-S-1-20-40S-2020  
*Dated Lucknow, September 18, 2020*

NOTIFICATION  
MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh Aakasmikta Nidhi (Sanshodhan) Vidheyak, 2020" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on August 22, 2020.

THE UTTAR PRADESH CONTINGENCY FUND (AMENDMENT) BILL, 2020

A

BILL

*further to amend the Uttar Pradesh Contingency Fund Act, 1950.*

IT IS HEREBY enacted in the Seventy first Year of the Republic of India as follows:-

- |   |   |
|---|---|
| 1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Contingency Fund (Amendment) Act, 2020.   | Short title and commencement                        |
| (2) It shall be deemed to have come into force on April 11, 2020.   |   |
| 2. In section 4 of the Uttar Pradesh Contingency Fund Act, 1950 <i>after</i> sub-section (13), the following sub-section shall be <i>inserted</i> , namely:—  | Amendment of section 4 of U. P. Act no. XIX of 1950 |
| "(14) The State Government shall on the commencement of the Uttar Pradesh Contingency Fund (Amendment) Ordinance, 2020 withdraw a further sum of six hundred crore of rupees out of the Consolidated Fund of the State and place the same to the credit of the fund."   |   |
| Repeal and saving 3. (1) The Uttar Pradesh Contingency Fund (Amendment) Ordinance, 2020 is hereby repealed.   | U.P. Ordinance no. 6 of 2020                        |
| (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times. |   |

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The 'Uttar Pradesh Contingency Fund' has been established in and for the State of Uttar Pradesh by the Uttar Pradesh Contingency Fund Act, 1950 and the limit of corpus of the Contingency Fund has been increased to Rs. 600 crore by the Uttar Pradesh Contingency Fund (Amendment) Act, 1990. Considering the increase in the state's budget size over the years and to arrange extra funds to fight COVID-19 pandemic, it was decided to increase the corpus of the Uttar Pradesh Contingency Fund from Rs. 600 crore to Rs. 1200 crore. In view of the above, it was decided to amend the aforesaid Act.

Since the State legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Contingency Fund (Amendment) Ordinance, 2020 (U.P. Ordinance no. 6 of 2020) was promulgated by the Governor on April 11, 2020.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

SURESH KUMAR KHANNA,

*Mantri,*

*Vitt.*

By order,

J. P. SINGH-II,

*Pramukh Sachiv.*